भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक /बीडा/आयोजना/ 2629/20

दिनांक 28/10/20

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 आशियाना हाउसिंग लि0 4 फ्लोर, आशियाना विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी

विषय:— मैं0 आशियाना हाउसिंग लिं0, पंजीकृत कार्यालय 5—एफ एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केसव सिंह निवासी फ्लेट नं0 बी / 155, आशियाना गार्डन भिवाडी द्वारा ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 779, 780, 782, 925 / 829, 781, 783, 927 / 844, 929 / 828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि बढाने की स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 03.09.2020 के अनुसार ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी० है पर मूल भवन निर्माण स्वीकृति न्यास भिवाडी के पत्र क्रमांक 651/16 दिनांक 16.02.2016 को जारी की गई थी। बींडा भिवाडी द्वारा उपरोक्त प्रकरण को बीडा की भवन मानचित्र समिति की 09 बैठक दिनांक 11.09.2020 के एजेण्डा नं0 03 में पूर्व में जारी मूल भवन निर्माण स्वीकृति में समिति द्वारा पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं तथा भवन मानचित्रों का अवलोकन कर सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर प्रकरण में स्वीकृत मानचित्रों की समयाविध एकीकृत भवन विनियम के नियमानुसार राशि जमा कराकर 2 वर्ष बढाये जाने तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.05.2020 के अनुसार 6 माह अर्थात कुल 2.5 वर्ष की समयावृद्धि करने का का निर्णय निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र / लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन, अधिकतम मूल स्वीकृति 16.02.2016 से 5 वर्ष हेतु मान्य थी जो कि अब 2 वर्ष 6 माह बढ़ाकर 7 वर्ष 6 माह के लिए मान्य होगी।

02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंशन) नहीं किया जायेगा।

03. मूल भवन निर्माण अनुमति पत्र दिनांक 16-02 ഉള്ള की समस्त शर्त यथावत मान्य होगी।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त्र का पालन नहीं होने पर

भवन निर्माण अनुज्ञा रदद मानी जायेगी।

वरि० त्रगर नियोजक बीडा भिवाडी

क्रमांकः आयोजना /

प्रतिलिपि:- अधिशाषी अभियन्ता, बीडा भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि0 नगर नियोजक बीडा भिवाडी

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 651 /18

भवन निर्माण अनुमति पत्र

दिनांक 1 6/02/16

 मै0 आशियाना हाउसिंग लि0
4 फ्लोर, आशियाना विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी

विषय:— मैं0 आशियाना हाउसिंग लिं0, पंजीकृत कार्यालय 5—एफ एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केसव सिंह निवासी फ्लेट नं0 बी/155, आशियाना गार्डन भिवाडी द्वारा ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मीं0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानवित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भः- आपका आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2015

आपका आवेदन दिनांक. 06.08.2015 द्वारा मै० आशियाना हाउसिंग लि०, पंजीकृत कार्यालय 5-एफ एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केसव सिंह निवासी फ्लेट नं० बी/155, आशियाना गार्डन भिवाडी द्वारा ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह० तिजारा के खसरा नं० 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी० भूमि का आवासीय परियोजना के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है। उक्त भवन मानचित्रों को भवन मानचित्र समिति की 51वी बैठक दिनांक 10.09.2015 में लिये गये निर्णयानुसार अनुमोदन कर भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

01. यह स्वीकृति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य रहेगी।

02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनिमय 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंशन) नहीं किया जायेगा।

03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी

निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।

04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसों न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना

पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

06. न्यास की अभियान्त्रीकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।

07. प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित / प्रस्तुत मानचित्र (13.4 व 13.5 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणों के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।

08. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को

निरस्त समझा जावेगा।

09. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

10. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में न्यास को देनी होगी।



11. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।

12. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू—तल का उपयोग किया जावेगा।

13. भवन विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप विकासत्तां द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान, अग्नि शमन हेतु प्रावधानों, विकलांगों हेतु प्रावधान आदि की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

14. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भूखण्डो पर निर्माण हेतु स्वीकृत साईट प्लान के अनुरूप सैट बेक्स व अन्य प्रावधान सुनिश्चित करने होगे।

16. भूखण्ड में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, सेपटिंक टेंक, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, रनानाघर, तथा रसोई के अविशष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि का प्रावधान किये जाने की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्त्ता की होगी।

17. प्रस्तुत भवन मानचित्रों मे वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानो की पालना भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।

18. अधिवास प्रमाण-पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।

19. पार्किंग का प्रावधान भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनों के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्त्विद द्वारा सुनिश्चित करने होगे।

20. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होगे तथा इस बाबत संबंधित विभाग से अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

21. EWS हेतु 68 एवं LIG हेतु 31 कुल 99 फ्लेट प्रस्तावित किये गये है। इन ईकाईयो का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार के परिपन्न दिनांक 02.05.2012 एवं एफोंडेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपन्नों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

22. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिज़ाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।

23. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।

24. भवन विनियामों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।

25. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाईन्स की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

> वरि0 नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी


संलग्न:- भवन मानचित्र (11)

क्रमांकः आयोजना /

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि० नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी



therefore 10,000 sqmt

No of Water Tank

Provided 4 Nos

FAR per 20,000 Lit Req.

total green buffer area = 11,217.805 SqM

CONCEPTUAL ARRANGEMENT FOR RAIN WATER HARVESTING

GREEN-3

(PODIUM)

TOTAL

788.16 Sq.mt

11,217.805 sq.mt.

ESS

GAS BANK

TOTAL

198.01 Sq.mt

202.37 Sq.mt

1045.99 sq.mt.